न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष जज पॉक्सो

(एक्ट कोर्ट 07 वाराणसी)

प्रकीर्णवाद सं० 33/2025

कुसुम सोनकर बनाम राजू

नकल आदेश दिनांक 31/05/2025

Scanned with OKEN Scanner

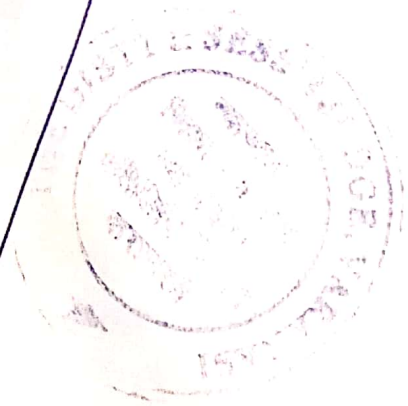

भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय अपर

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिए जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
06/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	R Kumar 07/05/25

66/06-05-25

UPVR010004582025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो 03/ कक्ष सं० 07, वाराणसी।

प्रकीर्ण वाद सं० 33/2025

श्रीमती कुसुम सोनकर पत्नी स्व० हंसराज, निवासिनी म०नं० एस० 25/227 ए-1, मोहल्ला सरसौली, भोजूबीर, वार्ड सिकरौल, शहर वाराणसी बहैसियत संरक्षिका नैसर्गिक माता नाबालिग पुत्र रौनक सोनकर व पुत्री सौम्या सोनकर।

.....प्रार्थिनी।

बनाम

1. **राजू लाल पुत्र लल्लन प्रसाद,** निवासी म०नं० एस० 25/227 ए-1, मोहल्ला सरसौली, भोजूबीर, वार्ड सिकरौल, शहर वाराणसी
2. **श्रीमती राधा सोनकर पत्नी राजूलाल,** निवासिनी म०नं० एस० 25/227 ए-1, मोहल्ला सरसौली, भोजूबीर, वार्ड सिकरौल, शहर वाराणसी
3. **त्रिदेव रेजिडेन्सी एलएलपी** पंजीकृत कार्यालय वी० 31/32, विष्णु भवन, रविदास गेट के सामने, लंका, वाराणसी जरिए भागीदारान- प्रशान्त केजरीवाल पुत्र गोविन्द केजरीवाल, निवासी बी० 28/7, दुर्गाकुण्ड रोड, मानस मंदिर के पास, वार्ड भेलूपुर, शहर वाराणसी। तथा नवीन रतेरिया पुत्र श्री सज्जन कुमार रतेरिया, निवासी प्लाट नं० 131-132 ए, लेन नं० 6, रविन्द्रपुरी नइ कालोनी, वार्ड भेलूपुर, शहर वाराणसी व आनन्द जी पाण्डेय पुत्र श्री ब्रजेश नन्दन पाण्डेय, निवासी सी० 33/53 ए-1 के, सिगरा छित्तपुर, वार्ड चेतगंज, शहर वाराणसी।
4. **उत्तर प्रदेश सरकार जरिए कलेक्टर, वाराणसी।**

.....विपक्षीगण।

03.05.2025

पत्रावली पेश हुई, पुकार कराई। पत्रावली वास्ते प्रकीर्ण वाद सं० 33/2025 पर आदेश हेतु नियत है।

2. प्रार्थिनी की ओर से प्रकीर्ण वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी के पति स्व० हंसराज व उनके सगे भाई राजू लाल (विपक्षी सं०-1) ने संयुक्त रूप से कुल 27091.33 वर्गफीट जमीन मय मकान क्रय किया था, जिसका विवरण निम्नवत है:-

"**क-** आराजी नम्बर- मि० 28/4 रकबा 13600 वर्गफीट मय निर्माण रकबा 21 वर्गमीटर जिस पर नगर निगम वाराणसी द्वारा मकान नम्बर-एस० 24/17-ए-4-एम कायम है, स्थित मौजा टकटकपुर, परगना शिवपुर, वार्ड सिकरौल, तहसील सदर, जिला वाराणसी जिसके पंजीकृत विक्रय विलेख के पंजीयन का इन्द्राज कार्यालय उपनिबंधक सदर तृतीय वाराणसी में बही संख्या-1, जिल्द संख्या-2977 पृष्ठ सं० 311 से 350 क्रम सं०-1254 पर दि० 17.06.2016 को अंकित है।

Scanned with OKEN Scanner

ख- आराजी नम्बर-मि० 28/2 रकबा 3481.6 वर्गफीट स्थित मौजा टकटकपुर, परगना शिवपुर, वार्ड सिकरौल, तहसील सदर, जिला वाराणसी जिसके पंजीकृत विक्रय विलेख के पंजीयन का इन्द्राज कार्यालय उपनिबंधक सदर तृतीय वाराणसी में वही संख्या-1, जिल्द संख्या-3154 पृष्ठ सं० 243 से 296 क्रम संख्या-872 पर दि० 13.06.2017 को अंकित है।

ग- आराजी नम्बर-मि० 28/1 रकबा 942.93 वर्गफीट व आराजी नम्बर-मि० 28/2 रकबा 217.6 वर्गफीट कुल रकबा 1160.53 वर्गफीट स्थित मौजा टकटकपुर, परगना शिवपुर, वार्ड सिकरौल, तहसील सदर, जिला वाराणसी जिसके पंजीकृत विक्रय विलेख के पंजीयन का इन्द्राज कार्यालय उपनिबंधक सदर तृतीय वाराणसी में वही सं०-1, जिल्द संख्या-3478 पृष्ठ सं० 301 से 338 क्रम सं०-2316 पर दि० 12.12.2018 को अंकित है।" प्रार्थिनी व विपक्षी सं०-1 तथा विपक्षी सं०-2 एक ही परिवार के सदस्य हैं और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप विपक्षी राजूलाल ने आराजी नम्बर- मि० 28/2 रकबा 435.2 वर्गफीट जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांकित 13.07.2022 क्रय कर हासिल किया। पंजीकृत विक्रय विलेख के पंजीयन का इन्द्राज कार्यालय उपनिबंधक सदर तृतीय वाराणसी में वही सं०-1, जिल्द सं०-4185 पृष्ठ सं० 286 से 306 क्रम सं०-1515 पर दि० 13.07.2022 को अंकित है। प्रार्थिनी व विपक्षी सं० 2 श्रीमती राधा सोनकर ने संयुक्त रूप से आराजी नम्बर मि० 28/2 व मि० 28/3 का जुमला रकबा 3264 वर्गफीट जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 02.05.2017 क्रय कर हासिल किया, जिसके पंजीयन का इन्द्राज कार्यालय उपनिबंधक सदर तृतीय वाराणसी में वही सं०-1, जिल्द सं०-3134 पृष्ठ सं० 295 से 332 क्रम सं० 641 पर दि० 02.05.2017 को अंकित है। प्रार्थिनी ने पारिवारिक व्यवस्था के अनुरूप आराजी नम्बर-मि० 28/1 का अंश रकबा 943 वर्गफीट जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 12.07.2022 क्रय कर हासिल किया है, जिसके पंजीयन का इन्द्राज कार्यालय उपनिबंधक सदर तृतीय वाराणसी में वही सं०-1, जिल्द सं०-4185 पृष्ठ सं० 25 से 48 क्रम सं०-1506 पर दि० 12.07.2022 को अंकित है। उपरोक्तानुसार प्रार्थिनी के पति हंसराज जी व विपक्षी सं०-1 राजूलाल संयुक्त रूप से आराजी नम्बर-मि० 28/1 व मि० 28/2 व मि० 28/4 तथा कायमी मकान नम्बर एस० 24/17-ए-4-एम कुल रकबा 18242.13 वर्गफीट स्थित मौजा टकटकपुर, परगना शिवपुर, वार्ड सिकरौल, तहसील सदर, जिला वाराणसी के संयुक्त मालिकान व काबिज दखील हुये तथा प्रार्थिनी कुसुम सोनकर व विपक्षी सं०-2 राधा सोनकर आराजी नम्बर मि० 28/2 व मि० 28/3 जुमला रकबा 3264 वर्गफीट स्थित मौजा टकटकपुर, परगना शिवपुर, वार्ड सिकरौल, तहसील सदर, जिला वाराणसी की संयुक्त स्वामिनी व अध्यासी हुयी एवं प्रार्थिनी कुसुम सोनकर आराजी नम्बर मि० 28/1 रकबा 943 वर्गफीट स्थित मौजा टकटकपुर, परगना शिवपुर, वार्ड सिकरौल, तहसील सदर, जिला वाराणसी की एकल स्वामिनी व अध्यासी हुयी। उपरवर्णित सम्पत्ति अनुसूचित जाति के सदस्य की है, जिसका मौके पर किसी भी कृषिक प्रयोजन में उपयोग-उपभोग नही हो रहा है। अतएव न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर वाराणसी में संस्थित वाद सं०-टी2022147030013072 2 अ०धारा-80 उ०प्र०भू०रा० संहिता 2006 में पारित आदेश दि० 30.05.2023 द्वारा उपरवर्णित भू-सम्पत्ति गैर कृषिक प्रयोजन की भूमि उदघोषित की जा चुकी है। अतएव उक्त भू-सम्पदा को किसी गैर अनुसूचित जाति के सदस्य के हक में अन्तरण पर कोई विधिक प्रतिबन्ध नहीं है। प्रार्थिनी के पति हंसराज जी प्रार्थिनी व नाबालिग बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये उपर वर्णित तरीक पर हासिल

Scanned with OKEN Scanner

जायदाद को विकसित कर उस पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण कराने की बातचीत विपक्षी सं०-3 के साथ तय व पोख्ता किया और नियमानुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु वांछित डेवलपर्स विलेख निष्पादित व निबंधित कराना सुनिश्चित किया था। प्रार्थिनी के पति व विपक्षी सं०-1 संयुक्त रूप से विपक्षी सं०-3 के साथ मिलकर डेवलपर्स एग्रीमेन्ट निष्पादित व निबंधित कराने की योजना को मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे थे कि दुर्भाग्यवश प्रार्थिनी के पति हंसराज जी विश्व व्यापी कोरोना (कोविड-19) महामारी से ग्रसित हो गये और प्रार्थिनी व विपक्षी सं० 1 का संयुक्त परिवार भी प्रभावित हो गया, जिससे आशयित डेवलपर्स एग्रीमेन्ट समय से निष्पादित नहीं हो सका। प्रार्थिनी के पति हंसराज जी का विश्व व्यापी कोरोना (कोविड-19) महामारी के कारण दि० 22.07.2020 को सर सुन्दर लाल चिकित्सालय आई०एम०एस० बी०एच०यू० में निधन हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रार्थिनी व उसके नाबालिग पुत्र रौनक सोनकर व नाबालिग पुत्री कुमारी सौम्या सोनकर हंसराज जी की समस्त चल व अचल सम्पत्ति वशमूल उपरवर्णित सम्पत्ति के वरासतन स्वामी व अध्यासी हो गये किन्तु परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब हो गई। प्रार्थिनी के पति व नाबालिग बच्चों के पिता हंसराज जी के निधन से प्रार्थिनी व बच्चों का भरण-पोषण दवा ईलाज आदि में धनाभाव के कारण अत्यन्त परेशानी हो रही है। साथ ही नाबालिग बच्चों की समुचित शिक्षा-दीक्षा प्रभावित हो रही है, जिससे उनका भविष्य अंधकार मय होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। उपरवर्णित सम्पत्ति के अलावा प्रार्थिनी व नाबालिग बच्चों के पास अचल सम्पत्ति के रूप में रेहाईशी भवन संख्या-एस० 25/227 ए-1, मोहल्ला सरसौली, भोजूवीर, वाराणसी मौजूद है, जिसमें सम्पूर्ण परिवार रिहाईश करता चला आ रहा है। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार के सदस्यों व शुभचिन्तकों ने वाजिब व मुनासिब समझा कि प्रार्थिनी व बच्चों के उज्जवल भविष्य व सुदृढ़ आर्थिक स्थिति विकसित व स्थापित करने के लिए उक्त हंसराज जी एवं विपक्षी सं०-1 राजू लाल जी द्वारा आशयित डेवलपर्स विलेख परिवार की उपरवर्णित सम्पूर्ण सम्पत्ति के बावत आशयित विकासकर्ता विपक्षी सं०-3 के साथ मिलकर निष्पादित व निबंधित करा दिया जावे, जिससे प्रार्थिनी व नाबालिग बच्चों की साम्पत्तिक प्रास्थिति सुदृढ होने के साथ-साथ आर्थिक सम्पन्नता भी मिल जावे और नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण शिक्षा-दीक्षा व इलाज आदि सुचारू रूप से सम्पादित हो सके। प्रार्थिनी ने खुद व बहैसियत संरक्षिका नैसर्गिक माता नाबालिग बच्चों रौनक सोनकर तथा कुमारी सौम्या सोनकर एवं विपक्षी सं०-1 व 2 ने संयुक्त रूप से उपरवर्णित आशयित योजना को मूर्तरूप देने के लिए विपक्षी सं०-3 के हक में किता डेवलपर विलेख दिनांकित 01.07.2023 निष्पादित व निबंधित कराया है, जिसके पंजीयन का इन्द्राज कार्यालय उपनिबंधक सदर प्रथम वाराणसी में बही सं०-1, जिल्द सं०-13975 पृष्ठ 383 लगायत 436 क्रम सं०-4688 पर दि० 03.07.2023 को अंकित है। उक्त डेवलपर विलेख के प्राविधानों के अनुरूप भू-स्वामीगण को उनके भूमि स्वामित्व के सापेक्ष निर्मित होने वाली बहुमंजिली इमारत में 42 प्रतिशत निर्मित अंश व इतना ही अनुपातिक अविभाज्य भूमि क्षेत्र निजि स्वामित्व में प्राप्त होना एवं विकासकर्ता विपक्षी सं०-3 को उसके निर्माण लागत के सापेक्ष निर्मित होने वाली बहुमंजिली इमारत में 58 प्रतिशत निर्मित अंश व इतना ही आनुपातिक अविभाज्य भूमि क्षेत्रफल का निजी स्वामित्व विकासकर्ता विपक्षी सं०-3 को प्राप्त होना सुनिश्चित है। विवर्णित बिल्डर्स एग्रीमेन्ट के आधार पर हासिल होने वाले निर्मित क्षेत्रफल व आनुपातिक अविभाज्य भूमि क्षेत्रफल में जो अंश नाबालिगान रौनक सोनकर व कुमारी सौम्या सोनकर के

Scanned with OKEN Scanner

विधिक अंश का होगा उसे विक्रय करने का अधिकार नाबालिगान की अवयस्कता के कारण जरिये संरक्षिका नैसर्गिक माता ही क्रियान्वित करना होगा जिसके लिए माननीय न्यायालय की पूर्व अनुमति विधानतः आवश्यक है। यह स्थापित तथ्य है कि बिल्डर्स एग्रीमेन्ट के निष्पादन से भूमि के स्वामित्व का हस्तान्तरण नहीं होता बल्कि बिल्डर्स एग्रीमेन्ट में उल्लिखित व्यवस्थाओं का पूर्ण क्रियान्वयन होने के पश्चात ही अंशों का विनिश्चियन पक्षगण के हक में विधानतः आयद होता है अतएव बिल्डर्स एग्रीमेन्ट के निष्पादन व पंजीयन से किसी विधि व्यवस्था का उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही नाबालिगान के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है बल्कि बिल्डर्स एग्रीमेन्ट नाबालिगान के हित संरक्षण के लिए ही निष्पादित व निबंधित हुआ है। बिल्डर्स एग्रीमेन्ट की व्यवस्था के अनुरूप आशयित इमारत का निर्माण होने के पश्चात नाबालिगान के अंश में आयद होने वाले निर्मित भाग व अविभाजित अनुपातिक भूमि क्षेत्रफल का नाबालिगान के हित में ही उपयोग उपभोग किया जावेगा। उक्त अंशों को या तो किराये पर उठाकर उससे नाबालिगान की आवश्यकताओं की पूर्ति की जावेगी या अतिआवश्यक परिस्थितियों में नाबालिगान के अंश का कोई भाग अंतरित किया जावेगा तो उससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल की धनराशि का उपयोग उपभोग नाबालिगान के आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा अन्य किसी मद में खर्च नहीं किया जावेगा। नाबालिगान के पास आवासीय भवन के अतिरिक्त आय का अन्य कोई श्रोत मौजूद नहीं है। नाबालिगान के भरण-पोषण व सुचारू दवा-ईलाज व शिक्षा-दीक्षा के लिए उपरवर्णित बिल्डर्स एग्रीमेन्ट के आधार पर प्राप्त होने वाले निर्मित अंश व अविभाज्य आनुपातिक भूमि क्षेत्रफल से हासिल होने वाली आय के अलावा अन्य कोई विकल्प अवशेष नहीं है। उपरोक्त तथ्यों व नाबालिगान रौनक सोनकर एवं कुमार सौम्या सोनकर के हितों को दृष्टिगत रखते हुए विवर्णित डेवलपर एग्रीमेन्ट के आधार पर उनके अंश में आयद होने वाले निर्मित भाग व आनुपातिक अविभाजित भू-क्षेत्रफल को किराये पर देने एवं आवश्यकता पड़ने पर इच्छुक ग्राहक के हक में विक्रय करने के लिए उनकी संरक्षिका नैसर्गिक माता प्रार्थिनी श्रीमती कुसुम सोनकर पत्नी स्व० हंसराज सोनकर को अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि जायदाद हसब तफसील जैल पर बहुमंजिली इमारत निर्मित कराने के आशय से निष्पादित व निबंधित बिल्डर्स एग्रीमेंट दिनांकित 01.07.2024 के आधार पर निर्मित होने वाली इमारत में नाबालिगान रौनक सोनकर व कुमारी सौम्या सोनकर के विधिक अंश को किराए पर देने अथवा आवश्यकतानुसार इच्छुक ग्राहक के हक में विक्रय करने के लिए उनकी संरक्षिका नैसर्गिक माता श्रीमती कुसुम सोनकर पत्नी स्व० हंसराज सोनकर को अनुमति प्रदान किया जाए।

तफसील जायदाद

आराजी नम्बर मि० 28/1 रकबा 2828.93 वर्गफीट व आराजी नम्बर मि० 28/2 रकबा 7398.4 वर्गफीट व आराजी नम्बर-मि० 28/3 रकबा 3264 वर्गफीट व आराजी नम्बर मि० 28/4 रकबा 13600 वर्गफीट कुल चार गाटा रकबा 27091.33 वर्गफीट यानि 2517.781 वर्गमीटर व कायमी मकान नम्बर एस० 24/17-ए-4-एम स्थित मौजा टकटकपुर, परगना शिवपुर, वार्ड सिकरौल, तहसील सदर, जिला वाराणसी हस्ब चौहद्दी जैलः-

पूरब- गली व मकान सविता सिंह वगैरह।

पश्चिम- पक्की सड़क महावीर मन्दिर-भीरापुर बसहीं मार्ग।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर- मकान व जमीन तिलक सोनकर।
दक्षिण- मकान व जमीन बिन्दु वगैरह।

3. विपक्षीगण सं० 1, 2 व 3 की ओर से उक्त के संबंध में कोई आपत्ति न होने का कथन किया है।

4. विपक्षी सं० 4 की ओर से प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थनापत्र के विरुद्ध आपत्ति दाखिल कर कथन किया है कि प्रार्थी ने बिल्कुल निराधार प्रा०पत्र अं०धारा 8(2) हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधि० 1956 प्रस्तुत किया है, जो हरगिज पोषणीय नहीं है। हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधि० की प्रकृति मिसलेनियस है, इसके अंतर्गत उत्तराधिकार संबंधी वित्तीय एवं अंश निर्धारण जैसे जटिल प्रश्न का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रा०पत्र में जो प्रश्नगत आराजी के विक्रय विलेख का जिक्र किया गया है, उसको सिद्ध करने का पूर्ण भार प्रार्थिनी पर है। प्रा०पत्र में पारिवारिक व्यवस्था के अनुरूप संपत्ति को क्रय करने के तथ्य अंकित है परंतु प्रा०पत्र के साथ कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य उक्त के संबंध में दाखिल नहीं है। प्रा०पत्र में विपक्षी सं० 1, 2 व 3 के हक में विलेख दि० 01.07.23 को निष्पादित कराना उल्लिखित है, जो हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधि० की मंशा को विपरीत है। धारा 8(2) के अनुसार बिना न्यायालय की अनुमति के नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क की संपत्ति के पूर्ण भाग के अथवा किसी भू-भाग का किसी भी भांति हस्तान्तरण नहीं कर सकता। धारा 8(3) के अंतर्गत बिना न्यायालय की अनुमति के संरक्षक द्वारा किया गया हस्तान्तरण अवयस्क की स्वेच्छा पर शून्यकरणीय है। उल्लेखनीय है कि किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण के लिए न्यायालय तब तक अनुमति नहीं देगा जब तक कि यह आवश्यक न हो कि ऐसा हस्तान्तरण अवयस्क के प्रत्यक्ष लाभ के लिए न किया जाना हो। जब कि प्रा०पत्र के स्पष्ट है कि यह अवयस्कों के अप्रत्यक्ष लाभ हेतु नहीं बल्कि प्रार्थिनी व विपक्षी सं० 1 व 2 ने अपने लाक्ष हेतु बाद दाखिल किया है। प्रा०पत्र अंकित आराजी नं० व रकवा प्रा०पत्र के उंत में तफसील जायदाद में अंकित आराजीयात व रकवा में भिन्नता है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उपरोक्त परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए प्रा०पत्र प्रार्थिनी सव्यय निरस्त करने की कृपा करें।

5. प्रार्थिनी द्वारा विपक्षी सं० 4 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति के विरुद्ध प्रतिआपत्ति दाखिल कर कथन किया गया है कि विपक्षी सं० 4 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति दिनांकित 19-03-2025 आधारहीन, प्रकरण से असंगत काल्पनिक तथ्यों के आधार पर सरसरी तौर पर प्रस्तुत की गयी है जो तथ्य, साक्ष्य एवं विधि के प्रत्येक दृष्टिकोण से असंगत व अन्याय पूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। आक्षेपित आपत्ति में विपक्षी सं० 4 की ओर से प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र को बिना किसी आधार व साक्ष्य के पोषणीय न होना उल्लिखित किया गया है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। प्रार्थिनी का प्रा०पत्र स्थापित विधि व सुसंगत न्याय निर्णयों के अनुरुप हर आईना पोषणीय है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अवयस्क पुत्र व पुत्री के वैधानिक अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने हेतु माननीय न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा हासिल करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उत्तराधिकार सम्बन्धी वित्तीय एवं अंश निर्धारण जैसे किसी प्रश्न का विनिश्चयन नहीं किया जाना है। आक्षेपित आपत्ति में उल्लिखित तथ्य सर्वथा निराधार है क्योंकि प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्शित विक्रय विलेखों का प्रार्थिनी ने पूर्ण विवरण उल्लिखित किया है जो स्वयमेव जाहिर व साबित है। प्रार्थिनी व विपक्षी सं० 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है, जिनके पारिवारिक सामजस्य के

Scanned with OKEN Scanner

परिवार की उन्नति के लिए पारिवारिक सामन्जस्य बनाये रखते हुए अचल सम्पतियां अर्जित की गयी है। इस तथ्य से विपक्षी सं० 1 व 2 भली-भांति अवगत है और उनके द्वारा इसके विपरीत कोई तथ्य या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। विपक्षी सं० 4 उक्त तथ्यों से सर्वथा असंगत है। आक्षेपित आपत्ति में उल्लिखित तथ्य सरसरी तौर पर साक्ष्यों के अवलोकन किये बिना अंकित किये गये है। प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जिस डेवलपर विलेख का वर्णन किया गया है उक्त विलेख के जरिये अचल सम्पति में किसी प्रकार का कोई स्वत्व अंतरित नहीं हुआ है और न विधानत अन्तरित समझा जावेगा। उक्त विधिक प्रास्थिति व परिणाम का स्पष्ट उल्लेख प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है। अतएव उक्त डेवलपर विलेख के निष्पादन से प्रार्थिनी के अवयस्क पुत्र एवं पुत्री के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव आयद नहीं है। कयन खिलाफ इसके मुन्दर्ज आक्षेपित आपत्ति दिनांकित 19-03-2025 सरीही गलत व वेबुनियाद है, अतएव आक्षेपित आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित आपत्ति में उल्लिखित तथ्य मात्र भ्रम उत्पन्न करने हेतु अंकित किये गये है। प्रार्थिनी द्वारा वहैसियत नैसर्गिक संरक्षक अपने अवयस्क पुत्र एवं पुत्री के किसी भी अचल सम्पति का हस्तान्तरण नहीं किया गया है और बिना माननीय न्यायालय की पूर्व अनुमति के कोई हस्तान्तरण किया जाना आशयित नहीं है। आक्षेपित आपत्ति में उल्लिखित तथ्य विधि व्यवस्था के अधीन है जिनका अनुपालन सुनिश्चित है और विधि व्यवस्था को निष्प्रभावी बनाने हेतु किसी अनुतोष की याचना नहीं की गयी है। आक्षेपित आपत्ति में उल्लिखित तथ्य निराधार है जो कल्पना के आधार पर अंकित किये गये है और जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रार्थिनी ने अपने अवयस्क पुत्र एवं पुत्री के प्रत्यक्ष लाभ व सम्पन्न भविष्य सुनिश्चित करने के लिये प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिस पर उपरोक्त प्रकीर्ण वाद संस्थित होकर माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थिनी एवं उसके नाबालिग पुत्र व पुत्री का हित किसी भी तरह एक दूसरे के विपरीत नहीं है और प्रार्थिनी अपने नाबालिग पुत्र एवं पुत्री के हितों में ही हितबद्ध है और अपने नाबालिगान संतानों के उज्जवल भविष्य तथा भरण पोषण, शिक्षा-दीक्षा एवं आर्थिक सम्पन्नता सुदृढ करने के उद्देश्य से ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आक्षेपित आपत्ति में उल्लिखित तथ्य आधारहीन है। प्रार्थिनी द्वारा वास्तविक आराजियात व रकबा का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र तया तफसील जायदाद प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया गया है जिससे विपक्षी संख्या 4 का कोई वास्ता सरोकार नहीं है तथा हितबद्ध विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। आक्षेपित आपत्ति में उल्लिखित तथ्य आधारहीन है। आक्षेपित आपत्ति दिनांकित 19.03.2025 निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि व न्याय के प्रत्येक दृष्टिकोण से पोषणीय होने के साथ-साथ प्रार्थना पत्र में याचित अनुतोष अनुमन्य किये जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकीर्ण वाद में विपक्षी सं० 4 की ओर से प्रस्तुत आक्षेपित आपत्ति दिनांकित 19-03-2025 निरस्त कर प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए याचित अनुतोष नाबालिगान के हित एवं उज्जवल भविष्य के लिए अनुमन्य किया जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी के पति स्व० हंसराज व उनके सगे भाई राजू लाल/विपक्षी सं०-1 ने संयुक्त रूप से कुल 27091.33 वर्गफीट जमीन मय

Scanned with OKEN Scanner

मकान क्रय किया था। प्रार्थिनी के पति हंसराज जी का दि० 22.07.2020 को मे निधन हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रार्थिनी व उसके नाबालिग पुत्र रौनक सोनकर व नाबालिग पुत्री कुमारी सौम्या सोनकर हंसराज जी की समस्त सम्पत्ति के वरासतन स्वामी हो गये किन्तु परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब हो गई। प्रार्थिनी के पति के निधन से प्रार्थिनी व बच्चों का भरण-पोषण, दवा-ईलाज आदि में धनाभाव के कारण अत्यन्त परेशानी हो रही है। साथ ही नाबालिग बच्चों की समुचित शिक्षा-दीक्षा प्रभावित हो रही है। प्रार्थिनी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थिनी के पति की मृत्यु दिनांक 22.07.2020 को हो चुकी है, जिस कारण प्रार्थिनी के परिवार की आय का साधन नहीं है व बच्चों की शिक्षा-दीक्षा उचित रूप से नहीं हो पा रही है, जिस कारण उक्त संपत्ति को विक्रय करने की अनुमति जाहिर की गई है। विपक्षी सं० 4 द्वारा आपत्ति कर तर्क दिया गया है कि प्रार्थनापत्र निराधार है। हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षता अधि० की प्रकृति मिसलेनियस है, इसके अंतर्गत अंश निर्धारण वित्तीय व उत्तराधिकार जैसे जटिल विधिक तथ्यों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह भी अंकित नहीं किया है कि उसकी अवयस्क संतान किस-किस कक्षा में पढ़ रही है अथवा पढ़ती थी। प्रार्थिनी के पति की मृत्यु दि० 22.07.2020 को हो चुकी है तथा प्रार्थिनी द्वारा प्रा०पत्र दि० 21.12.2024 अर्थात् पति की मृत्यु के लगभग 4 साल बाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रा०पत्र में यह भी नहीं दर्शाया गया है कि इस अवधि में प्रार्थीगण का भरण-पोषण कैसे और किसके द्वारा किया जाता रहा। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्र न्यायहित में सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी द्वारा प्रकीर्ण वाद सं० 33/2025 में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 21.12.2024 स्वीकार किया जाता है। चूंकि, प्रार्थिनी की पुत्रियां अभी नावालिग हैं। अतः प्रार्थिनी को यह आदेशित किया जाता है कि उनके अंश के विक्रय द्वारा प्राप्त हुई धनराशि को उनके बालिग होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में fixed deposit के रूप में संरक्षित किया जाए। तद्नुसार प्रस्तुत वाद निस्तारित किया जाता है।

(विनोद कुमार VI)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सं० 03/
कक्ष सं० 07, वाराणसी।
जे०ओ० कोड-UP-2657

सत्य प्रतिलिपि
07/05/25
प्रधान प्रतिलिपिक
दीवानी न्यायालय वाराणसी